

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922

No. 494]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 742(अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1996 (1996 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 है।
 - (2) इस अधिसुचना में अन्यथा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,-
- (1) अनुसूची 1 में पटाखों के लिए शोर मानकों से संबंधित क्रम संख्याक 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम संख्यांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''90. कोयला खानों के लिए मानक

1. वायु क्वालिटी मानक

निम्नितिखत धूल उत्पादक स्रोतों से 500 मीटर की दूरी पर प्रवल हवा की दशा पर विचार करते हुए नीचे की ओर हवा की दिशा में निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस. पी. एम.), अन्त: श्वसनीय कणिकीय पदार्थ (आर. पी. एम.), सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ्) और नाइट्राजन आक्साइड (एन ओ्) का संकेन्द्रण नीचे दी गई सारणी-I, और II, और III में विनिर्दिग्ट मानकों से अधिक नहीं होगा।

धूल उत्पादन के स्रोत

लदाई या उतराई, कर्पण सड़क, कोयला परिवहन सड़क, कोयला हथालने का संयंत्र (मी. एच. वी.) रेल सरकवां, विस्फोट, छेदन. अधिक ऊंचे ढेर या कोई अन्य धूल उत्पादन के बाहरी स्रोत जैसे.कोक भट्टी (कठोर तथा मुलायम), इप्टिका उद्योग, पास की सड़क आदि।

2593 Gl/2000 (1)

- टिप्पण :—1. जहां उपचारित बहिस्राव ऐसे नगर सीवर में डाला जाता है जो अंतिम उपचार संयंत्र में जाता है, वहां जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) की 100 मि.ग्रा./लि. तक और रसायन आक्सीजन मांग (सी ओ डी) की 400 मि.ग्रा./लि. तक छूट दी जा सकेगी।
 - 2. बहिस्राव की क्वालिटी (एक लिटर प्रति किलोग्राम उत्पाद) संयुक्त सूती वस्र उद्योग संयुक्त ऊनी वस्त्र उद्योग और टैक्सटाइल प्रसंस्करण उद्योग में क्रमश: 100, 250 और 80 होगी।

93. स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

जलाशय या उसके भाग में के जल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। जल के उपयोगों और क्रियाकलापों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए जल क्वालिटी की कसौटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी उपयुक्तता अवधारित करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के उपयोगों में एक उपयोग यह भी है जो जल के उच्चतर स्तर की क्वालिटी या शुद्धता की मांग करता है और उस जलाशय के विस्तार में उसे ''अभिहित सर्वोत्तम उपयोग'' के रूप में जाना जाता है। इस पर आधारित प्राथमिक जल क्वालिटी की कसौटी के निबंधनों के अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए जल क्वालिटी अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। सारणी 1 में स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी की तर्कयुक्त कसौटी विनिर्दिष्ट की गई है।

सारणी 1
स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड
(संगठित बाह्य स्नान के लिए प्रयुक्त जल)

मानदंड		तर्कआधार
1. फिकल	500 (वांछनीय)	निम्न मल जल संदूपण सुनिश्चित करने के लिए,
कोली फॉर्म	2500 (अधिकतम अनुज्ञेय)	फिकल कोलीफामं और फिकल स्ट्रेप्टोकोक्की के
एम. पी. एन./100 मि.लि.	e e	बारे में यह माना गया है कि वे जीवाणु रोगोत्पादकता
2. फिकल स्ट्रेप्टोकोक्की	100 (वांछनीय)	को दर्शित करते हैं। वांछनीय और अनुज्ञेय मीमाएं पर्यावर्णिय दशाओं में उतार-चढ़ाव
एम. पी. एन./100 म ि .लि.	500 (अधिकतम अनुज्ञेय)	को अनुज्ञात करने के लिए सुझाव देती हैं जैसे कि मौसमी परिवर्तन, बहाव की दशाओं में परिवर्तन आदि।
2. पी. एस.	6.5 से 8.5 के बीच	यह रेंज त्वचा और ऑंख, नाक, कान आदि जैसे कोमल अंगों को संरक्षण प्रदान करती है जो बाह्य स्नान के दौरान सीधे प्रभावित होते हैं।
3. घुली हुई आक्सीजन		5 मि.ग्रा./लि. के न्यूनतम घुली हुई आक्सीजन संकेन्द्रण ठींक ऊपरीधारा में आर्गनिक प्रदूषण युक्त आक्सीजन लेने से युक्तियुक्त मुक्ति सुनिश्चित करते हैं जो तलछट से अनाइरोबिक गैसों (आबनोक्सीयस गैसों) के उत्पादन को निवारित करने के लिए आवश्यक है।
 जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) (27° से. पर 3 दिन) 		3 मि.ग्रा./लि. या इससे कम जल की जैव रसायन आक्सीजन मांग आक्सीजन डिमांडिग प्रदूपकों से युक्तियुक्त मुक्ति सुनिश्चित करती है और आबनाक्सीयस गैसों के उत्पादन को रोकर्ता है।''

(2) अनुसूची 6 के शोर मान दंडों से संबंधित भाग ङ में, मोटरगाड़ियों के लिए शोर सीमा से संबंधित भाग क के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा :—

''कक. 1 जनवरी, 2003 से मोटर यानों के लिए शोर सीमा

मोटर यानों के लिए निम्नलिखित शोर सीमा 1 जनवरी, 2003 से लागू होगी। अनुसरण किए जाने वाली परीक्षण पद्धति भा मा.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely.

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2000.
 - (2) Save as otherwise provided in this notification, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—
 - (1) In Schedule I, after serial number 89 relating to Noise standards for fire crackers and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

"90. Standards for coal mines

1. Air Quality Standards

The Suspended Particulate Matter (SPM), Respirable Particulate Matter (RPM), Sulphur dioxide (SO₂) and Oxides of Nitrogen (NOx) concentration in downwind direction considering predominant wind direction, at a distance of 500 metres from the following dust generating sources shall not exceed the standards specified in the Tables I, II and III given below:

Dust Generating Sources

Loading or unloading, Haul road, coal transportation road, Coal handling plant (CHP), Railway sliding, Blasting, Drilling, Overburden dumps, or any other dust generating external sources like coke ovens (hard as well as soft), briquette industry, nearby road etc.

93. Primary Water Quality Criteria for Bathing Waters.

In a water body or its part, water is subjected to several types of uses. Depending on the types of uses and activities, water quality criteria have been specified to determine its suitability for a particular purpose. Among the various types of uses there is one use that demands highest level of water quality or purity and that is termed as "Designated Best Use" in that stretch of water body. Based on this, water quality requirements have been specified for different uses in terms of primary water quality criteria. The primary water quality criteria for bathing water are specified along with the rationale in table 1.

PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR BATHING WATER
(Water used for organised outdoor bathing)

CRITERIA		RATIONALE	
1. Fecal Coliform MPN/100 ml:	500 (desirable) 2500 (Maximum Permissible)	To ensure low sewage contamination. Fecal coliform and fecal streptococci are considered as they reflect the bacterial pathogenicity.	
2. Fecal Streptococci MPN/100 ml:	100 (desirable) 500 (Maximum Permissible)	The desirable and permissible limits are suggested to allow for fluctuation in environmental conditions such as seasonal change, changes in flow conditions etc.	
2. pH:	Between 6.5 –8.5	The range provides protection to the skin and delicate organs like eyes, nose, ears etc. which are directly exposed during outdoor bathing.	
3. Dissolved Oxygen:	5 mg/1 or more	The minimum dissolved oxygen concentration of 5 mg/l ensures reasonable freedom from oxygen consuming organic pollution immediately upstream which is necessary for preventing production of anaerobic gases (obnoxious gases) from sediment.	
4. Biochemical Oxygen demand 3 day,27°C:	3 mg/1 or less	The Biochemical Oxygen Demand of 3 mg/l or less of the water ensures reasonable freedom from oxygen demanding pollutants and prevent production of obnoxious gases";	